



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 805797

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसायटी/ट्रस्ट के अस्था और सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये गोटली सप्लय पत्र का प्रारूप

Serial 432
Date 30-8-2023

श्री अशोक मिश्र (अध्यक्ष) एवं श्री राज कुमार सिंह (सचिव) हमारा उम्मीद है कि सदस्य आदर्श ट्रस्टर आशोक सिंघाना मिश्री गाजीपुर 20220 सामुदायिक निम्नलिखित स्थान करते हैं-

NOTARIAL
TAC 110
CHAZIP

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट - आदर्श ट्रस्टर कलेज सिंघाना मिश्री गाजीपुर जल्द ही द्वारा आदर्श कलेज ऑफ फार्मेसी सिंघाना मिश्री गाजीपुर 20220 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम निम्नलिखित आदर्श ट्रस्टर कलेज सिंघाना मिश्री गाजीपुर 20220 में माटा नं- 231 रकबा 1,00,00 हेक्टर/अर्ब जमीन 4.5 एकड़ भूमि दर्ज है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी ऋण किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि निवाद स्थिति है।

4. यह कि उपरोक्त पत्र पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के माटा नं- 231 रकबा 1,00,00 हेक्टर/अर्ब जमीन 4.5 एकड़ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का इरादा सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.08.2023 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संकलन हेतु अर्जों का निर्माण अनुमोदित नवरी के अनुसार किया गया है।



अशोक मिश्र अध्यक्ष

३०/०३/२०२३
 ३०/०३/२०२३
 ३०/०३/२०२३
 ३०/०३/२०२३

३०/०३/२०२३
 ३०/०३/२०२३
 ३०/०३/२०२३

३०/०३/२०२३

6. यह कि निरीक्षण समिति के समस्त उपरोक्त कर्तव्यों पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं वस्तु पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समस्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मली संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मली काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पदवीकरण एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पदवीकरण में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मली काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद अथवा लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं वास्तवकों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय महाविद्यालय/ आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलास रत्न, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मली काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ को तैनाती सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा राज प्राप्ति से पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का तत्कालीन पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सन्वहदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज़ फर्जी कृतचित्त अथवा झूठिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी को गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



10 अक्षर
 10/10/2023

~~Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to blurring.~~

Handwritten notes or a list of items, including what appears to be a date "20-11-23".

Handwritten signature and date "20/11/23".

Small handwritten text or stamp below the signature.



Handwritten signature and date "20/11/23".